न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 109/2018 दायरा दिनांक : 06.07.2018

उनवान

सीताराम पुत्र कंवरलाल जी, आयु 46 साल, जाति लोधा, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– दौलत सिंह आत्मज बलवन्त सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– कालू सिंह आत्मज दौलत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– जोहर सिंह आत्मज दौलत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4– बजेसिंह आत्मज दौलत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश पाटीदार अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक : 29.09.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र/201/2012 निर्णय दिनांक 09.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम महेशपुरा, पटवार हल्का नानोर, भू अभिलख क्षेत्र बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ की जमाबंदी संवत 2067–2070 की खाता संख्या नया 97 पुराना 91 की खसरा नम्बर 369 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 368 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। खाता संख्या नया 96 तथा पुराना खाता संख्या 90 में खसरा नम्बर 365 में चाह कुआ स्थित है तथा प्रार्थी इसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपने गांव महेशपुरा से होता हुआ सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 231 खसरा नम्बर 360 से होता हुआ अपने कुआ खसरा नम्बर 365 पर आता जाता है तथा कुए के पास में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ही प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 368, 369 लगी हुई है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 364 की पूरब की मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 368 व 369 में पुश्तैनी आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 ने रास्ता अवरूद्ध कर दिया है।

3 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.05.2018 के अनुसार नायब तहसीलदार, बकानी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिस रास्ते की मांग की है वह पूर्व से खसरा नम्बर 360 व 361 राजस्व रेकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (ए) में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट की आराजी ग्राम महेशपुरा में खाता संख्या नया 97 पुराना 91 की खसरा नम्बर 369 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 368 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा स्थित है एवं खाता संख्या नया 96 तथा पुराना खाता संख्या 90 में खसरा नम्बर 365 में चाही कुआ स्थित है। इस कुए पर आने जाने के लिए सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 331 व 360 से होता हुआ अपीलांट के कुए 365 पर रास्ता जाता है तथा इस कुए के पास ही अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 368 खसरा नम्बर 369 पर अपीलांट खसरा नम्बर 364 की पूरी मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 368 व 369 पर आता जाता है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व केम्प नानोर में बिना अपीलांट को सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया है। राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 09.05.2018 को बिना अपीलांट को सुने ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है तथा अपीलांट की आराजी पर आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है तथा रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व भूमि पर कब्जा कर रखा है। उसके बावजूद भी राजस्व अधिकारी द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। पत्रावली पूर्ण बहस के रूप में थी तथा राजस्व अधिकारी द्वारा बहस न सुनकर राजस्व केम्प नानोर में एक तरफा निर्णय पारित किया गया है, जो कि खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 अपास्त किया जावे।

5 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

6 हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में निर्णय दिनांक 09.05.2018 राजस्व अभियान केम्प न्याय आपके द्वार नानोर में आदेशिका पर कहीं भी पक्षकारान के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार झालरापाटन की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.05.2014 पर भी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही नजरी–नक्शा तहसीलदार झालरापाटन के द्वारा पेश किया गया है। पक्षकारान को मौके पर नहीं बुलाया गया है और न ही आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया है। अतः हम पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

7 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ में दिनांक 22.11.2023 को उपस्थित होवे ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

29/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा